# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौड़गढ़
## पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/79/2015 वाद  दायर दिनांक 20.02.2015

उनवान

1. जानीबाई पत्नी प्यारा जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. भैरूलाल पिता कपूरचन्द जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी कांस्याकलां तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पिता चतरभुज जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भगवानलाल पिता चतरभुज जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. तोरू पिता चतरभुज जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. सुखी पुत्री चतरभुज जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां हाल मुकाम जीतावल तहसील चित्तौड़गढ़।
6. उदी बेवा चतरभुज जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादसोडा जरिये बैंक शाखा प्रबन्धक भादसोडा तहसील भदेसर।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रामलाल राव —वादीया

एकतरफा —प्रतिवादीगण

**—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—**

**निर्णय दिनांकः 18.12.2024**

## —:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 397, 398, 399, 400, कुल किता 04 कुल रकबा 1.40 हैक्ट0 स्थित है जो वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

यह कि वादग़त आराजीयात का वादीया एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर मौखिक विभाजन कर रखा है वादीया एवं प्रतिवादीगण मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार काबीज होकर काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन विधिक रूप से विभाजन नही करवा रखा है इस कारण लगान जमा कराने, फसली ऋण लेने अन्य कई सरकारी कार्य करवाने में बाधा उत्पन्न होती है इस कारण वादगत आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक रूप से विभाजन कराया जाना आवश्यक है वादीया अपने 1/4 हक हिस्से कब्जे का मौके कब्जे अनुसार बंटवाडा कराने की प्रार्थना करती है इसलिये पक्ष वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण के बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा वादीया को 1/4 हक हिस्से की अलग खातेदारी कायम कर तदनुसार लगानवन्दी भी अलग कराई जाना आवश्यक है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण को वादगत आराजीयात का आपसी सहमति से विभाजन कराने के लिये दिनांक 03.07.2013 को कहा तो प्रतिवादीगण तैयार नही हुए इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना पडा वाद हेतुक कारण दिनांक 03.07.2013 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि पक्षवादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजीयात मौका कब्जा अनुसार विधिक रूप से विभाजन करा वादीया को 1/4 हक हिस्से की अलग स्वतन्त्र खातेदारी कायम की जावे, तदनुसार लगानवन्दी भी अलग अलग कराई जावें।

(उपखण्ड अधिकारी)

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 15.02.2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 23.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 13.02.2024 से प्रस्तुत की गई जो शा0फा0 है। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 18.12.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के वैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 397, 398, 399, 400, कुल किता 04 कुल रकबा 1.40 हैक्ट0 स्थित हैं में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 13.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. जानीबाई पत्नी प्यारा जाति नायक सा0 देह खातेदार

| क.स. | आ0स0 | रकबा (है0) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 1 | 397/1 | 0.35 | पडत 2 |
| योग | कुल किता–01 | 0.35 | |

2. उदी पत्नी चतरभुज हिस्सा 1/18 जाति नायक सा0 देह खातेदार, भगवान पिता चतरभुज हिस्सा 2/27 जाति नायक सा0 देह खातेदार, भैरू पिता चतरभुज हिस्सा 2/27 जाति नायक सा0 देह खातेदार, भैरूलाल पिता कपूरचन्द हिस्सा 2/3 जाति नायक सा0 कांस्याखुर्द खातेदार, सुखी पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/18 जाति नायक सा0 देह खातेदार, लेरू पिता चतरभुज हिस्सा 2/27 जाति नायक सा0 देह खातेदार,

| क.स. | आ0स0 | रकबा (है0) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 1 | 397/2 | 0.01 | पडत 2 |
| 2 | 398 | 0.31 | चाही 3 |
| 3 | 399 | 0.01 | खड्डा |
| 4 | 400 | 0.72 | चाही 3 |
| योग | कुल किता–04 | 1.05 | |

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश [illegible])
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन